बिहार सरकार
उच्च शिक्षा विभाग

ज्ञापांक 15/एम1–57/2021-356 पटना, दिनांक-16/02/2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना

*द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना के लिए रू0 7,50,00,00,000/–(सात सौ पचास करोड़ रूपये) मात्र व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत

व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग संख्या 21 के अधीन मुख्य शीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा, 107–छात्रवृत्तियाँ, 0110–मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक उत्तीर्ण) प्रोत्साहन योजना–सात निश्चय–2, विषय शीर्ष 0110.34.02–प्रोत्साहन मद विपत्र कोड 21–2202031070110 के अन्तर्गत होगा।

2. वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने हेतु रू0 900 (नौ सौ करोड़) का योजना उद्व्यय एवं बजटीय उपबंध के विरूद्ध 900 (नौ सौ करोड़) का स्वीकृति एवं विमुक्ति की जा चुकी है।

पुनः द्वितीय अनुपूरक आगणन द्वारा रू0 7,50,00,00,000/–(सात सौ पचास करोड़ रूपये) उपबंधित किया गया है। उपलब्ध बजट उपबंध के आलोक में 1,45,000 छात्राओं (रू0 50,000/– प्रति छात्रा) को रू0 7,25,00,00,000/–(सात सौ पच्चीस करोड़ रूपये) मात्र एवं 10,000 छात्राओं (रू0 25,000/– प्रति छात्रा) को रू0 25,00,00,000/–(पच्चीस करोड़ रूपये) उक्त योजना की राशि उनके खाते में अंतरित करने हेतु कुल रू0 7,50,00,00,000/–(सात सौ पचास करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति की जा रही है।

3. स्वीकृत राशि की निकासी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, डी0बी0टी0, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा BTC FORM 43 पर CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बेली रोड, पटना से करके HDFC Bank, Boring Road, Patna के खाता संख्या–50100300009920 एवं IFSC Code- HDFC 0000235 में जमा की जाएगी, जहाँ से लाभुकों के बैंक खाते में PFMS के माध्यम से राशि अंतरित की जाएगी। इस योजना का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण की जिम्मेवारी उच्च शिक्षा निदेशालय की होगी।

4. चालू स्कीमों से संदर्भित स्वीकृत्यादेश वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका–3 और 5(ख)(ii) के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस स्वीकृत्यादेश से वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 एवं महालेखाकार बिहार के पत्रांक 877–907 दिनांक 08.11.2007 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत होने के पश्चात् राशि की निकासी की जाएगी। अतएव महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

6. विभागीय संकल्प संख्या–367 दिनांक 13.02.2021 के द्वारा दिनांक 31.03.2021 के उपरान्त स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साह्न योजना के तहत रू0 50,000/– प्रति छात्रा प्रोत्साह्न राशि देने का निर्णय लिया गया है।

7. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा राज्य सरकार के अंकेक्षण (वित्त) विभाग को यह अधिकार होगा कि वे इस अनुदान राशि का लेखा का अंकेक्षण करें। अतएव इसके लिए संपूर्ण राशि का लेखा जोखा अलग से रखा जाएगा।

8. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभागीय संकल्प संख्या–2561 दिनांक 17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जाएगा।

9. स्वीकृत राशि/व्यय की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में विधिवत् रूप से महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

10. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना को इसकी सूचना दी जा रही है।

11. इस राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

12. यह स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु संचिका संख्या 15/एम1–57/2021 में दिनांक 09.02.2026 को पृष्ठ संख्या–226–227/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

13. इस स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव–सह–प्रारूप पर माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0/–
(अजीत कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:–15/एम 1–57/2021– 356 पटना, दिनाक 16/02/2026

प्रतिलिपि– विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/वित्त विभाग (स्कीम एवं बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के निजी सहायक/निदेशक, उच्च शिक्षा/उप निदेशक, उच्च शिक्षा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, डी0बी0टी0 शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–05, 14 एवं 15/लेखापाल/रोकड़पाल, उच्च शिक्षा/उपयोगिता कोषांग, शिक्षा विभाग एवं विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Ajit 16/2/26
सरकार के उप सचिव